



हरियाणा सरकार

जेल विभाग हरियाणा

की

वर्ष 2011-12

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPARTMENT FOR THE YEAR 2011-12.

In the year 2011-12 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails Department :-

- | | |
|--|----|
| 1. Central Jails Ambala and Hisar | 02 |
| 2. District Jails Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonapat, Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Faridabad, Narnaul, Palwal, Panipat and Jhajjar | 16 |
| 3. Borstal Institute and Juvenile Jail, Hisar | 01 |
| 4. Jail Training School, Karnal | 01 |
| 5. Office of the District Probation Officers Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani, and Sirsa. | 08 |

TOTAL 28

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the state as on 01.04.2011 was 14178. During the year, 58,893 prisoners remained admitted in the jails at different point of time. At the end of the year 14,984 prisoners were lodged in all the jails in Haryana.

3. The number of convicts in Judicial Lockups were 6335 as on 01.04.2011. During the year, 9607 more prisoners who were convicted either by the courts in Haryana or came on transfer from other places were admitted in jails in Haryana. During the year 9560 convicts were discharged from jails and 6382 convicts remain lodged in jails at the end of the year. The number of High Security Class convicts lodged in Jails as on 01.04.2011 was 18. During the year, 8 High Security Class convicts were admitted and 10 such convicts were discharged. Thus at the end of year 2011-2012, 16 High Security Class convicts remain lodged in all jails. The number of persons imprisoned in default of payment of fine was 16 as on 01-04-11. During the year, 95 more such convicts were admitted and 81 were discharged. Thus 30 convicts on account of default in payment of fine remained lodged at the end of the year.

4 The number of undertrial prisoners as on 01.04.2011 was 7,843. During the year, 53,245 more undertrial prisoners were admitted in Jails. Out of total 61,088 undertrial prisoners, 52,486 were released on bail. A total of 8,602 undertrial prisoners remained lodged in jails at the end of the year. 37 prisoners died in custody during the year. The undertrial prisoners had to stay in jails of Haryana on an average of 51 days.

5 Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.04.2011 was 649. During the year, 2018 more women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails). Out of them 2046 women prisoners were either released or transferred to other Jails. Therefore, number of women prisoners in all the jails at the end of the year was 621. 68 children depend on the women prisoners in all the jails was also lodged in jails along with them as on 01.04.2011. During the year, 5 children were born in the jail and 171 others came to jail with women prisoners. 175 children were sent back from jails with the women prisoners. Thus, at the end of the year, 69 children remained admitted along with women prisoners in all the jails in Haryana.

6 During the year a sum of Rs. 82,98,57,000/- was spent on the protection, diet etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 55,382/- (Rs. 151.73 per prisoner per day). During the year 2010-11 a sum of Rs. 83,28,44,000/- were spent on the protection, diet etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 58,741/- (Rs. 160.93 per prisoner per day).

7 During the year 2011-12, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation facilities inside the of Jails. T.B patients were isolated and admitted in special wards. They were given suitable medical treatment. In order to improve the general sanitation, flush latrines with under ground sewerage system were provided for the prisoners in all the jails of Haryana. Fans were provided in living barracks for the prisoners.

During the year under report, the standard of discipline in the jails was satisfactory. The details of incident of indiscipline which came to notice are as under: -

a) Quarrels/Brawls	During the year 2011-12, there was no quarrel/brawl in jails of the state.
b) Hunger Strike	During the year 2011-12, no prisoner or undertrial resorted to hunger strike.
c) Escape	During the year 2011-12, Nine prisoners escaped from the Jails of Haryana.
d) Attack	During the year 2011-12, there was no case of attack by the prisoners.
e) Offences	During the year 2011-12, the total number of Jail offences committed by the prisoners were 107, the details of which are as under:

	2010-11	2011-12
Total number of offences committed by the prisoners for which they were sent to courts for appraisal.		
1- Major Offences	123	79
2- Minor Offences	79	28
Total	202	107

100 prisoners undergoing life imprisonment were released prematurely and 4273 prisoners were released on parole/ furlough during the period under report. The prisoners are kept in the jails nearest to their home as far as possible. The prisoners whose conduct in jails was adjudged good and who were otherwise eligible as per jail manual were awarded special remission as per the rules.

8 For mental and physical development of the prisoners, arrangements for lectures for spiritual and physical well being of the prisoner were made. Arrangements for morning and evening prayers, prisoner meetings, radio programmes, indoor and outdoor games and practices of yoga had also been made. 1774 lectures, 58 dramas and 164 cultural programmes were organized in the jails during the year under report. For the recreation of prisoners, television sets with cable connection have also been provided in Jails.

9. The details of production in the factories in jails are given in table below:-

Sr. No.	Name of Jails	2010-11	2011-12
1.	C.J. Ambala	25,17,600	17,19,253
2.	C.J. Hisar	11,48,367	7,13,439
3.	B.I.J. Hisar	49,451	-
4.	D.J. Rohtak	7,70,432	12,12,209
5.	D.J. Karnal	8,22,128	12,15,012
6.	D.J. Narnaul	52,366	43,214
7.	D.J. Bhiwani	1,14,639	1,98,592
8.	D.J. Gurgaon	1,04,308	2,47,955
9.	D.J. Faridabad	-	59,815
10.	D.J. Yamunanagar	-	73,075
	Total:	55,79,291	54,82,564

10. In the year 2011-12, 76 Assistant Superintendent/ Sub. Assistant Superintendent/ Head Warders and Warders were imparted training in the Jail Training School, Karnal. During the year 2011-12, 102 officers were imparted training in various other Institutions.

11. The prisoners were provided the facilities for purchasing commodities at reasonable rates for their personal use such as sugar, tea, gur, ghee, soap, oil etc. from the canteen opened in the Jails. These canteens have been opened in all the Central Jails/ District Jails and the Borstal Institution.

12. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distribution of ration and other goods. The prisoners were given training in industries and agricultural practices according to their choice by arranging training programme from time to time.

(P.K. Gupta)

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.03.2012 there was a provision for accommodation of 16,034 prisoners in Haryana, where as the number of prisoners at the end of the year 2011-2012 was 14,984. During this year the position of accommodation capacity as compared to the number of inmates was highly satisfactory. At present authorized accommodation of prison inmates is 16,034 which is sufficient to cater to the prison inmates lodged in Haryana Jails.

2. In the year 2011-12, 9 prisoners escaped from the Jails of Haryana. There was no case of any brawl in jails of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack by the prisoners during the year.

3. In the year 2011-12 goods worth Rs. 54,82,564 were produced in the industries being run in the jails as against production of Rs. 55,79,291 during the year 2010-11. In the year 2011-12, 100 life term prisoners were released prematurely. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 4,273 prisoners were released on parole/ furlough.

(P.K. Gupta)

Additional Chief Secretary to Govt.Haryana
Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2011-12 की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित संस्थाएँ जेल विभाग के अधीन कार्यरत रही :-

1. केन्द्रीय जेल अम्बाला एवं हिसार	02
2. जिला जेल रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर	16
3. बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
4. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
5. जिला परिवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08
कुल	28

राज्य की सभी जेलों तथा जूडिशियल लोकअप में सभी श्रेणियों के बन्दीयों की संख्या 01.04.2011 को 14,178 रही। वर्ष के दौरान 58,893 बन्दी विभिन्न समय पर जेलों में दाखिल हुए। वर्ष के अन्त में हरियाणा राज्य की जेलों में 14,984 बन्दी शेष रहे गये।

सिद्ध दोषियों की संख्या 01.04.2011 को 6,335 थी। वर्ष भर में 9,607 सिद्धदोषी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। वर्ष के दौरान 9,560 बन्दी जेलों से छोड़े गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल 6,382 सिद्ध दोषी जेलों में रह गये। दिनांक 01.04.2011 को उच्च श्रेणी के दोषियों की संख्या 18 रही तथा वर्ष के दौरान 8 बन्दी और दाखिल हुए और इनमें से 10 छोड़े गये। वर्ष 2011-2012 के अन्त में 16 बन्दी शेष रहे गये। राज्य की जेलों में जुमानान देने के तहत कैद हुये दोषियों की संख्या 01.04.2011 को 16 थी और वर्ष के दौरान जेलों में 95 बन्दी और दाखिल हुए और इनमें से 81 छोड़े गये। वर्ष के अन्त में जुमाना न देने के तहत वाले 30 बन्दी जेलों में शेष रह गये।

विचाराधीन बन्दीयों की संख्या 01.04.2011 को 7,843 थी। इस वर्ष जेलों में 53,245 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये। कुल 61,088 विचाराधीन बन्दीयों में से 52,486 विचाराधीन बन्दी बेल पर रिहा किया गया और वर्ष के अन्त में 8,602 विचाराधीन बन्दी जेल में शेष रहे गये। वर्ष के दौरान जेलों में 37 बन्दीयों की मृत्यु हुई। विचाराधीन बन्दीयों को औसतन 51 दिन जेल में रहना पड़ा।

हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.04.11 को स्त्री बन्दीयों की संख्या 649 थी। वर्ष के दौरान 2,018 स्त्री बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलों से बदल कर आये। 12,046 स्त्री बन्दीयों को रिहा किया या दूसरे राज्यों की जेलों में

भेजा गया इसलिये वर्ष के अन्त में स्त्री बन्धियों की संख्या 621 थी। दिनांक 01.04.2011 को जेलों में स्त्री बन्धियों के साथ 68 बच्चे थे और वर्षभर में जेलों में 05 बच्चोंपैदा हुये, और 171 अन्य बच्चे स्त्री बन्धियों के साथ जेलों में आये और 175 बच्चों को स्त्री बन्धियों के साथ जेल से छोड़े गये। वर्ष के अन्त में कुल 69 बच्चे स्त्री बन्धियों के साथ रह गये।

6. बन्धियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर में 82,98,57,000/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 55,382/- रुपये हुआ (151 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)। बन्धियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर 2010-11 में 83,28,44,000/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 58,741/- रुपये हुआ (160 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)।

7. बन्धियों का स्वास्थ्य 2011-12 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई व शौचालय सुविधायें प्रदान की गई, तपेदिक रोगियों को अलग व स्पेशल वार्ड में रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया। जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतु बन्धियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शौचालयों का प्रबन्ध किया गया। बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटाये गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। बन्धियों की बैरकों के स्थान में बिजली के पखे लगाये हुये हैं। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा। बन्धियों की अनुशासनहीनता का ब्यौरा, निम्न प्रकार से है :-

क)	झगड़े के मामले	वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर कोई भी उपद्रव नहीं हुआ।
ख)	भूख हड़ताल	वर्ष 2011-12 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	वर्ष 2011-12 में हरियाणा की जेलों से 9 बन्दी फरार हुये।
घ)	आक्रमण	वर्ष 2011-12 में बन्धियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।
इ)	अपराध	वर्ष 2011-12 में बन्धियों द्वारा 107 जेल अपराधकिये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्धियों को अदालत में अप्रैजल के लिये भेजा गया।	2010-11 202 107 2011.12 107
2.	कठोर अपराध	123 79
3.	लघु अपराध	79 28
	कुल अपराध	202 107

100 आजीवन कारावास बन्धियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 4,273 बन्धियों को इस वर्ष के दौरान पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया। जहां तक संभव हो सका बन्धियों को उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है। जिन बन्धियों ने अच्छाकार्य किया तथा जो बन्दी जेल में अनुसूचित जाति के पात्र थे उन्हें विशेष माफ़ी नियमानुसार दी गई।

8. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये आध्यात्मिक और शारीरिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल प्रार्थना सभाओं, बन्दी सभाओं, रेडियों, खेलों के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। इस वर्ष 1,774 व्याख्यान, 58 ड्रामें और 164 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। बन्धियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में टेलीविजन सैट भी लगाये हुये हैं।

9. जेलों में तैयार किये गये माल के मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	जेल का नाम	वर्ष 2010-11 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2011-12 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	25,17,600	17,19,253
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	11,48,367	7,13,439
3.	बच्चा जेल हिसार	49,451	
4.	जिला जेल रोहतक	7,70,432	12,12,209
5.	जिला जेल करनाल	8,22,128	12,15,012
6.	जिला जेल, नारनौल	52,361	43,214
7.	जिला जेल भिवानी	1,14,639	1,98,592
8.	जिला जेल गुडगांव	1,04,308	2,47,955
9.	जिला जेल फरीदाबाद		59,815
10.	जिला जेल यमुनानगर		73,075
	कुल जोड़	55,79,291	54,82,564

10. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल में 2011-12 में 76 सहायक अधीक्षक/उप सहायक अधीक्षक/हैड वार्डरज तथा वार्डरज को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2010-11 में 102 अधिकारियों को अलग-अलग अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

11. बन्दियों को उचित मूल्य पर जेलों की कैदीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, गुड, घी, साबुन, तेलइत्यादि की खरीद की सुविधा दी गई है। ये कैदीन सभी केन्द्रीय कारागारों, जिला कारागारों, बोस्टल संस्था तथा बच्चा जेल में हैं।

12. भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दिया। समय-2 पर बन्दियों को उनकी रूचि के अनुसार उद्योग तथा आधुनिक कृषि के अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया।

(पी0कै0 गुप्ता)

अतिरिक्तमुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा।

समालोचना

वर्ष के अन्त में 31-03-2012 तक हरियाणा में 16,034 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष के अन्त में बन्दियों की संख्या 14,984 थी। इस वर्ष जेल में अधिकृत क्षमता तथा बन्दियों की संख्या को मध्यनजर काफी संतोष जनक थी। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता 16,034 की है जोकि वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार प्रयाप्त है।

2. वर्ष 2011-12 में जेलों से 9 बन्दी फरार हुये। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई झगड़ेका मामला नहीं हुआ। वर्ष भर बन्दियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल भी नहीं की।

3. वर्ष 2011-12 में रुपये 54,82,564/-के मूल्य का माल जेलों की उद्योगशालाओं में तैयार किया गया जबकि वर्ष 2010-11 में 55,79,291/- रुपये का माल तैयार हुआ था। वर्ष 2011-12 के दौरान 100 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 4,273 बन्दियों को पैरोल/ फर्ली पर छोड़ा गया।

(पी0कै0, गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग
हरियाणा।

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2011-12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय-1

1. प्रस्तावना :-

जेल विभाग का 1.4.2011 से 31.3.2012 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा:-

1. श्री राकेश मलिक, आई0पी0एस0
निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :-
 1. श्री के0पी0 सिंह, आई0पी0एस
महानिरीक्षक कारागार हरियाणा।
दिनांक 10.5.2010 से।
 2. श्री जगजीत सिंह, अपर महानिरीक्षक कारागार दिनांक 10.3.2011 से।

1. श्री हरीश कुमार,

मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।

2. श्री वी0के0 जाम्ब,

मुख्य लेखा अधिकारी।

3. श्री कर्म चंद सैनी,

लेखा अधिकारी।

4. श्री जे0एस0 गिल,

सहायक जिला न्यायवादी।

5. श्री ब्रिज बिहारी, कार्यालय

अधीक्षक

6. श्री दौलत राम, कार्यालय

अधीक्षक

7. श्री लखवीर बराड,

उप अधीक्षक, जेल हैडक्वार्टर

8. श्री वरिन्द्र लाम्बा,

उप अधीक्षक जेल मुख्यालय में

9. श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी

(हस्ताक्षर)

महानिरीक्षक जेल विभाग, हरियाणा

1. जगदीश

2. संस्थायें :-

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :-

1. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार 02
2. जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर। 16
3. बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार 01
4. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल 01
5. जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार। 08

कुल जोड़

28

3. बन्दीयों में अनुशासन व उनका आचरण :-

कुल मिलाकर बन्दीयों में अनुशासन का स्तर संतोषजनक रहा। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है :-

क)	उपद्रव	-	वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर कोई उपद्रव नहीं हुआ।
ख)	भूख हड़ताल	-	वर्ष 2011-12 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	-	वर्ष 2011-12 में हरियाणा की जेलों से 9 बन्दी फरार हुये।
घ)	आक्रमण	-	वर्ष 2011-12 में बन्दीयों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।
इ)	अपराध	-	वर्ष 2011-12 में अपराधों की कुल संख्या 107 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-
		2010-11	2011-12
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दीयों को अदालत में अप्रेजल के लिये भेजा गया।	202	107
2.	कठोर अपराध	123	79
3.	लघु अपराध	79	28
	कुल अपराध	202	107

4. सुधार तथा सुविधायें :-

वर्ष 2011-12 में जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही बन्दीयों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. पैरोल/फरलो :-

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दीयों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देरी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। इसके पश्चात केवल जिलाधीश से विचार-विमर्श किया जाता है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी।

ख. समय पूर्व रिहाई :-

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दीयों की समय पूर्व रिहाई करने बारे नीति को अपने यादी क्रमांक 46/23/2000-4जेजे-11 दिनांक 12.04.02 द्वारा संशोधित किया था। इस नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दीयों के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा हवालात में 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छुट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। जिन बन्दीयों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दीयों की मृत्यु दण्ड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करुणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा हवालात में 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छुट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दीयों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी क्रमांक 36/135/91-1जेजे-11 दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार बनाम जगदीश की रिट पेट्रीशन में पारित आदेश 22.3.2010 जोकि किमिनल अपील नम्बर 566 आफ 2010 (Arising out of SLP) Crl. Mic. No. 6638 of 2009 में पारित को ध्यान में रखते हुये बन्दीयों के समयपूर्व रिहाई के केंसज का निर्णय लेने हेतु उनकी सजा की तिथी के समय से जो पालिसी लागू होती है, उस बन्दी का समयपूर्व रिहाई केंस उस पालिसी के अनुसार निर्णय लिया जाए के आदेश पारित किये गये थे। यथानुसार वर्ष 2011-12 में 100 आजीवन कारावास बन्दीयों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुये सरकार की पालिसी अनुसार समय पूर्व रिहा किया गया।

5. भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध :-

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न-2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि खेलों सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सायं की प्रार्थना सभाएं, रेडियों प्रोग्राम इत्यादि हैं। प्रति दिन टेलिविजन शो भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों द्वारा 1,774 व्याख्यान, 58 ड्रामों तथा 164 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

6. वार्डर गार्ड :-

अब केवल वार्डर गार्ड का एक ही हैडक्वार्टर, केन्द्रीय जेल अम्बाला में है। इस विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार है :-

मुख्य वार्डर	-	255
वार्डर	-	2368
मैटरन	-	47
महिला वार्डर	-	138

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा।

7. जेल निरीक्षण :-

माननीय व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

माननीय मुख्य मंत्री / मंत्रीगण	6
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	28
महानिदेशक कारागार/अपर महानिरीक्षक जेल	85
आयुक्त	8
जिला एवं सेशन जज	198
उपायुक्त	20
गैर सरकारी दर्शक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों	281

8. चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे :-

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2011-12 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

ग. बन्दीयों की बदली :-

कई बन्दीयों के रिश्तेदारों तथा मित्रों को मुलाकात करने में वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए आ बन्दीयों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है ताकि उनके परिवार वाले तथा मित्र बन्दीयों से आसानी से मिल सकें।

घ. कैन्टीन :-

केन्द्रीय जेल अम्बाला/हिसार, जिला जेलों तथा बोस्टल जेल में बन्दीयों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, घी, चाय तथा गुड आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा जेलों में अनधिकृत वस्तुओं पर पूरा नियन्त्रण रहा है।

ङ. बन्दी पंचायतें :-

भिन्न-2 कारागारों में बन्दीयों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

च छूट :-जिन बन्दीयों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

छ पंखे :-

बन्दीयों को बैरकों में पंखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके।

ज नल :-

कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

झ गन्दे पानी का निकास :-

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

ट फलश टाईप शौचालय :-

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है तथा गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर करने का प्रबन्ध किया गया है।

ठ बन्दीयों का मनोरंजन :-

बन्दीयों के मनोरंजन के लिए जेलों में रेडियों/टेलिविजन सेट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।

अध्याय -2

उद्योग

1. वित्त वर्ष 2011-12 में कुल उत्पादन रुपये 54,82,564/- का हुआ एवं वित्त वर्ष 2010-11 में कुल उत्पादन रुपये 55,79,291/- का रहा जो पिछले वित्त वर्ष से 96,727/- कम रहा।

2. अलग-2 जेलों का उत्पादन निम्न सारणी में दर्शाई गया है:-

क्रम संख्या	जेल का नाम	वर्ष 2010-11 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2011-12 में हुआ उत्पादन
1	केन्द्रीय जेल अम्बाला	25,17,600	17,19,253
2	केन्द्रीय जेल हिसार	11,48,367	7,13,439
3	बच्चा जेल हिसार	49,451	-
4	जिला जेल रोहतक	7,70,432	12,12,209
5	जिला जेल करनाल	8,22,128	12,15,012
6	जिला जेल, नारनौल	52,366	43,214
7	जिला जेल भिवानी	1,14,639	1,98,592
8	जिला जेल गुडगांव	1,04,308	2,47,955
9	जिला जेल फरीदाबाद	-	59,815
10	जिला जेल यमुनानगर	-	73,075
	कुल जोड़	55,79,291	54,82,564

3. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 में तथा इससे पूर्व वर्ष 2010-11 तक निम्नलिखित जेलों में जेल विभाग में बिकी का ब्यौरा :-

क्रम सं०	जेलों का नाम	वर्ष 2010-11 में हुई बिक्री	वर्ष 2011-12 में हुई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	-	650898
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	6,35,089	133219
3.	बच्चा जेल हिसार	50,023	-
4.	जिला जेल, रोहतक	2,05,410	1142893
5.	जिला जेल, करनाल	8,05,398	1044388
6.	जिला जेल, गुडगांव	97,097	-
7.	जिला जेल, भिवानी	1,04,729	128831
8.	जिला जेल, नारनौल	10,800	10800
9.	जिला जेल फरीदाबाद	-	9843
	कुल जोड़	19,08,546	3120672

जेल विभाग, दूसरे सरकारी विभागों तथा प्राइवेट व्यक्तियों से की गई बिकी का ब्यौरा:-

क्रम सं०	जेल का नाम	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12
1.	जेल विभाग के लिये की गई बिक्री	19,08,546	3120672
2.	दूसरे सरकारी विभागों को की गई बिक्री	7,07,736	1385096
3.	प्राइवेट विभागों को की गई बिक्री	-	270410
	कुल जोड़	26,16,282	4776178
क्रम सं०	जेल का नाम	सरकारी विभागों से को की गई बिक्री	जेल विभाग से को की गई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	1020444	650898
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	80728	133219
3.	बच्चा जेल हिसार	-	-
4.	जिला जेल, रोहतक	37717	1142693
5.	जिला जेल, करनाल	51331	1044388
6.	जिला जेल, नारनौल	43214	10800
7.	जिला जेल, भिवानी	101690	128831
8.	जिला जेल, गुडगांव	-	-
9.	जिला जेल फरीदाबाद	49972	9843
	कुल जोड़	1385096	3120672
			270410

4. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 तथा इससे पूर्व वर्ष 2010-11 में निम्न जेलों द्वारा वसूली का ब्यौरा:-

क्रम सं०	जेलों का नाम	वर्ष 2010-11 में हुई वसूली	वर्ष 2011-12 में हुई वसूली
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	1,00,84,022	1098779
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	11,83,848	-
3.	बच्चा जेल हिसार	50,023	-
4.	जिला जेल, रोहतक	5,58,634	-
5.	जिला जेल, करनाल	9,79,644	1082091
6.	जिला जेल, गुडगांव	97,097	-
7.	जिला जेल, भिवानी	3,98,168	1302260
8.	जिला जेल, फरीदाबाद	-	48968
9.	जिला जेल, नारनौल	53,120	894
	कुल जोड़	1,34,04,556	35321992

जेलों द्वारा जो माल तैयार किया जाता है वह अन्य विभागों को उनकी मांग अनुसार सप्लाई किया जाता है।

6. कृषि फार्म

वित्त वर्ष 2011-2012 में जेल कृषि फार्म पर कुल खर्चा रुपये 27,01,497 किया गया तथा कृषि फार्म से कुल उत्पादन रुपये 88,52,425 का हुआ। इस प्रकार कृषि फार्म से वर्ष भर में कुल आय रुपये 61,50,928 हुई। जिस का विवरण निम्नप्रकार से है :-

क्रम सं०	जेल का नाम	फार्म का ऐरिया	कुल खर्चा रुपये में	कुल उत्पादन रुपये में	कुल आय रुपये में
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	14 एकड़	1,65,779	4,43,800	2,78,021
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	7 एकड़ 7 कनाल 9 मरले	55,528	2,78,305	2,22,777
3.	जिला जेल, रोहतक	19 एकड़ 4 कनाल 2 मरले	49,662	2,82,023	2,32,361
4.	जिला जेल, करनाल	98 एकड़	13,22,228	49,54,074	36,31,846
5.	जिला जेल, भिवानी	61 एकड़ 5 कनाल	1,01,780	5,72,956	4,71,176
6.	जिला जेल, सोनीपत	16 एकड़	3,61,906	6,79,667	3,17,761
7.	जिला जेल, जोन्ड	25 एकड़	4,06,500	10,69,758	6,63,258

8.	जिला जेल, सिरसा	7 एकड़	69,669	2,26,019	1,56,350
9.	जिला जेल पानीपत	47 एकड़ 6 मरले	1,68,445	3,45,823	1,77,378
	कुल जोड़	296 एकड़ 17 मरले	27,01,497	88,52,425	61,50,928

7. कपड़ा :-

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि सतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतु कपड़ा बनाया जा रहा है। बोस्टल जेल हिसार तथा भिवानी जेलों पर हथकरघा से भी कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झांडन/बस्ताज/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारु रूप से पूरी की जा रही है।

केन्द्रीय जेल, अम्बाला के बन्दियों को तथा बोस्टल जेल, हिसार के बन्दियों को विशेष रूप से स्त्री बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग देने हेतु दोनों जेलों पर सोक्स निटिंग मशीनों की स्थापना हो चुकी है। अतः इन बन्दियों को ट्रेनिंग देने के लिए फिलहाल जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से इन्स्ट्रक्टर नियुक्त करवाये जा रहे हैं और इस प्रकार बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग दी जायेगी। इससे विभाग के वार्डर गार्ड की जुराबों की मांग को पूरा होने के साथ-साथ पुलिस विभाग/गृह रक्षी विभाग तथा हरियाणा राज्य के अन्य विभागों की जुराबों की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सजा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगे, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय-3

विशेष संस्थाएँ

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग तथा राज्यों के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस स्कूल में वार्डर तथा हैड वार्डरों, उप सहायक अधीक्षक के साथ-2 अधीक्षक, उप अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध है। इस संस्था में जेल मैनुअल, कारागार, प्रशासन, कानून, किमिनोलोजी, साईकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, मिलिट्री ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण में कैदियों में सुधार के साथ-2 अभ्यर्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा राज्य के जेल अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, इसलिये उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

2. स्त्रियों के लिए कारागार :-

हरियाणा में 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बंदी स्त्रियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था। यह प्रबन्ध पूर्ण तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों की अलग देख-भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मैटरन व महिला प्रहरी भी नियुक्त हैं।

वर्ष 2011-12 में जेल में हुई भर्ती स्त्रियों की संख्या तथा उनकी/रिहा का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:-

1.4.2011 को रजिस्ट्री कैदियों की संख्या	सीधे/बदली द्वारा जेल में आये स्त्री बन्धियों की संख्या	मुक्त किए गए/ बदली किए स्त्री बन्धियों की संख्या	31.3.2012 को स्त्री बन्धियों की संख्या
649	2018	2046	621

वर्ष 2011-12 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों के दैनिक औसत संख्या 635 थी। बन्धियों के कपड़ों की मुरम्मत के लिए/कुछ औ कार्य जैसे सिलाई/कढ़ाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।

3. छोटे बच्चों का विवरण :-

जो शिशु बन्दी औरतों के साथ जेल में आये उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	01.04.2011 को बच्चों की संख्या	68
1.	01.04.2011 से 31.03.2012 तक जेल में पैदा हुए बच्चे	5
2.	01.04.2011 से 31.03.2012 तक भर्ती हुए बच्चों की संख्या	171
3.	छोड़े गए बच्चों की संख्या	175
4.	शेष 31.03.2012 को संख्य	69
5.	छः मास तक के बच्चों की संख्या	2
1.	छः मास से एक साल तक के बच्चों की संख्या	13
2.	एक साल से 3 साल तक के बच्चों की संख्या	24
3.	3 साल से 5 साल तक के बच्चों की संख्या	26
4.	5 साल से उपर के बच्चों की संख्या	4
5.	कुल	69

4. बोस्टल संस्था एवं बच्चा जेल हिसार :-

हरियाणा की एक मात्र जेल है, जो कि आधुनिक ढंग की है। इसमें किशोर बन्धियों के लिए खेल-कूद उद्योग सिखाने, स्कूल, हस्पताल आदि का प्रबन्ध है।

वर्ष 2011-12 में इस संस्था में निम्न किशोर बन्धियों को रखा गया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

	वर्ष के शुरू में संख्या	वर्ष के अंत में संख्या	बोस्टल एक्ट के अधीन कैदी
1.	वर्ष के शुरू में संख्या	3	
2.	कितने वर्ष भर में दाखिल हुए	2	
3.	जोड़	5	
1.	जिनकी बदली दूसरी जेलों की गई		
2.	अपील पर रिहाई		
3.	सरकार के आदेश अनुसार रिहाई		
4.	जमानत पर रिहाई		
5.	कैद की समाप्ति पर रिहाई	3	
6.	भगौड़े कैदियों की संख्या		
7.	कैद से छूट आदि मिलने पर रिहाई		
8.	मरे हुए कैदियों की संख्या		
9.	अन्य कारणों से	2	
10.	जोड़	2	
11.	वर्ष के अंत में शेष कैदी	2	

इस संस्था में ऐसे किशोर बन्धियों को जिनको न्यायालय से सजा मिलती है और उनकी आयु 21 वर्ष से कम होती है, रखने का प्रबन्ध है। इस प्रकार इस संस्था का उद्देश्य किशोर बन्धियों के पूर्व जीवन और आचरण के कारणों का पता लगाना है। साथ ही उनको सभ्य नागरिक और कानून का आदर करने वाले शहर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए उनके मानसिक सुधार, उद्योग तथा कामकाज की ट्रेनिंग आधुनिक खेती-बाड़ी के ढंग सिखाने का प्रबन्ध किया जात है। इन नौजवानों को नशीली चीजों से दूर रखने तथा पढ़ाई लिखाई आदि क महत्व भी सिखाया जाता है। इससे उनके सुधार और रिहाई के बाद अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी जीविका कमाने में सहायता मिलती है। इस संस्था में प्राथमिकस्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई में बैठने का प्रबन्ध किया जाता है।

5. शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग :-

दूसरे कार्यक्रमों के साथ-2 किशोर बन्धियों की शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा की ओर भी ध्यान रखा जाता है। उन्हें ड्रिल, जिमनास्टिक तथा यौगिक अभ्यास प्रशिक्षण ड्रिल इन्स्ट्रक्टर द्वारा करवाया जाता है। साथ ही बासकेट बाल कबड्डी आदि क्रीडाओं का भी प्रबन्ध है। बन्धियों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याखानों का प्रबन्ध किया जाता है।

6. मनोरंजन :-

किशोर बन्धियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंगा-रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी0 वी0 का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा चलचित्र और ड्रामों भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर ज्ञान बढ़ता है।

7. भवन तथा स्थान :-

इस समय हरियाणा में निम्नलिखित जेलें हैं:-

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर, पलवल, पानीपत, फरीदाबाद एवं झज्जर	16
3.	बोस्टल संस्था एवं जुबनार्ल जेल, हिसार	01
	कुल जोड़	19

सभी कारागारों में कुल 16,034 कैदियों को रखने का स्थान है।

अध्याय-4

1. बंदी संख्या :-

हरियाणा की जेलों में कैदियों की संख्या 01.04.2011 को 14,178 थी और यह संख्या 31.03.2012 को 14,984 रह गई। वर्ष भर में बन्धियों की औसत संख्या 15,017 थी।

2. बन्धियों का प्रवेश तथा निकास

क. सिद्धदोषियों की संख्या 1.4.2011 को 6,335 थी। वर्ष भर 9,607 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आये और 9,560 बन्धियों की रिहाई के बाद 31.3.2012 को कुल 6,382 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. सिद्धदोषियों की औसत दैनिक संख्या 1.4.2011 से 31.3.2012 तक 6,358 थी। सभी प्रकार के बन्धियों की अधिकतम संख्या 15,999 थी।

ग. उच्च सुरक्षा श्रेणी के दोषी :-

उच्च सुरक्षा श्रेणी के दोषियों के प्रवेश तथा भुगतान का विवरण इस प्रकार है :-

1.4.2011 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2012 को शेष
18	8	10	16

घ. नजरबंद :- पूरे वर्ष में कोई दोषी नजरबंद नहीं रहा।

1.4.2011 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए बन्दी	31.3.2012 को शेष
.....			

ङ. जुमाने के बदले में दोषी :-

जुमाने के बदले में कैद हुए दोषियों का विवरण नीचे दिया जाता है :-

1.4.2011 को गणना	वर्ष भर में प्रवेश	वर्ष भर में छोड़े गए	31.3.2012 को शेष
16	95	81	30

च. बच्चे:-

नियमों के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को अपनी माताओं जिन्हें दण्ड के तौर पर जेल में दाखिल किया जाता है, के साथ रह सकते हैं। इनका पालन-पोषण सरकारी खर्च पर किया जाता है। ऐसे बच्चों का विवरण नीचे दिया जाता है:-

1.4.2011 को गणना	वर्ष भर में प्रवेश	जेल में पैदा हुए बच्चे	छोड़े गए	31.3.2012 को शेष
68	171	5	175	69

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय :-

वर्ष के अन्त में सिद्ध दोषियों का धर्म, आयु, तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :-

तालिका -1

धर्म	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	10	.15
मुसलमान	547	8.58
हिन्दु तथा सिख	5529	86.64
बौध तथा जैन	8	.12
दूसरे अन्य धर्म	288	4.51
जोड़	6,382	100

तालिका-2

अवस्था	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से कम	..	
18 साल से 21 साल तक	472	7.39
22 साल से 30 साल तक	2324	36.42
31 साल से 40 साल तक	2044	32.03
41 साल से 60 साल तक	1204	18.87
60 साल से उपर	338	5.29
जोड़	6,382	100

4. शिक्षा :-

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
वह जो पढ़ लिख सकते हैं	4022	63.03
वह केवल जो पढ़ सकते हैं	1178	18.45
अशिक्षित	1182	18.52
जोड़	6,382	100

अध्यापकों द्वारा 1520 कैदियों को प्रोढ़ शिक्षा दी गई। वर्ष भर में विभिन्न जेलों के पुस्तकालयों से 23082 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई।

6. शिक्षित व्यवसाय :-

दिनांक 31.3.2012 को जेल में 6,382 कैदियों में से 2825 का सम्बन्ध खेती-बाड़ी से था तथा दूसरे शब्दों में इनकी संख्या 44.25 प्रतिशत थी। शेष बन्दियों का सम्बन्ध अन्य व्यवसायों से था।

6. दण्ड :-	तालिका नं 1	तालिका नं 2
दण्ड का स्वरूप	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
साधारण कैद	3305	51.78
कठोर कैद	3077	48.22
जोड़	6,382	100
दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
1 मास तक	160	2.50
1 मास से उपर तथा तीन मास से कम	274	4.30
3 मास से उपर तथा 6 मास से कम	232	3.64
6 मास से उपर तथा 1 वर्ष से कम	374	5.86
1 वर्ष से उपर तथा 2 वर्ष से कम	426	6.68
2 वर्ष से उपर तथा 5 वर्ष से कम	840	13.16
5 वर्ष से उपर तथा 10 वर्ष से कम	1269	19.88
10 वर्ष से उपर तथा आजीवन कारावास	2798	43.84
11 मृत्यु दण्ड	9	.14
जोड़	6,382	100

7. अभ्यस्थ कैदी (हेबीच्यूल)

वर्ष भर में 6,382 कैदी दाखिल किए गए, दोषियों में 295 अभ्यस्थ बंदी थे।

8. विचाराधीन बन्दी :-

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 1.4.2011 को 7,843 थी। वर्ष भर में 53,245 और विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। इस वर्ष 52,486 बन्दियों को छोड़ा गया ऐसे बन्दियों की वर्ष के अन्त में संख्या 8,602 थी। विचाराधीन बन्दियों को 51 दिन तक जेल में रहना पड़ा।

9. दिवानी बन्दी :-

वर्ष 1.4.2011 को 15 दीवानी बंदी थे। पूरे वर्ष 120 अतिरिक्त दीवानी बंदी भर्ती होने से कुल संख्या 135 हो गई। वर्ष भर में 121 दीवानी बंदी रिहा किये गए। वर्ष के अंत में यानि 31.3.2012 को उनकी संख्या 14 थी।

10. सुरक्षा तथा बंदियों की देखभाल :-

बंदियों की सुरक्षा के प्रबंध तथा उनकी देखभाल पर वर्ष 1.4.2011 से 31.3.2012 तक वर्ष भर में 82,98,57,000/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 55,382/- रुपये हुआ (151 रुपये 73 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

11. बंदियों का स्वास्थ्य

बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा। बंदियों का स्वास्थ्य स्तर ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिये विशेष प्रयास किये गये जैसे कि डी.डी.टी. के छिडकाव इत्यादि। नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरों के आसपास की सफाई का ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बंदियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पेशल वार्ड में रखा गया और उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया।

12. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना :-

16461 बंदी वर्ष भर में अस्पताल में भर्ती किए गए।

मुख्य रोग जैसे हैजा, पेचिस, मलेरिया, तपेदिक, निमोनिया, अनिमिया के शिकार हुए 1813 सिद्धदोषियों को भर्ती किया गया, जिन में से 5 बंदियों की मौत हुई।

दिनांक 31.3.2012 को 6,382 बंदियों में से 2250 (35.250) प्रतिशत के वजन में बढ़ोतरी हुई तथा 3784 (59.29) प्रतिशत के वजन में न ही कोई कमी हुई और न ही कोई बढ़ोतरी हुई। 434 (5.45) प्रतिशत बंदियों के वजन में कमी आई।

जिन बंदियों ने उच्चतम कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन 6,274 बंदियों को छूट प्रदान की गई। 100 आजीवन कारावास बंदियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 4,273 बंदियों को पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया।

अध्याय नं० 5

उद्धार प्रभार :-

सदाचार बन्दियों को प्ररिषीषा अधीन रिहाई के अधिनियम-1958

विभाग का कार्यक्रम :-

विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2011-12 में श्री श्री राकेश मलिक, आई०पी०एस० डा० के०पी० सिंह, आई०पी०एस महानिरीक्षक कारागार हरियाणा, श्री जगजीत सिंह, अपर महानिरीक्षक कारागार से श्री वी०के० जाम्ब, मुख्य लेखा अधिकारी, श्री कर्म चंद सैनी, लेखा अधिकारी, श्री जे०एस० गिल, सहायक जिला न्यायवादी श्री ब्रिज बिहारी, कार्यालय अधीक्षक, श्री दौलत राम, कार्यालय अधीक्षक, श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी, श्री हरीश कुमार, एच०पी०एस० मुख्य परीवीक्षा अधिकारी, श्री लखवीर बराड, उप अधीक्षक आई०टी० श्री वरिन्द्र लाम्बा, उप अधीक्षक जेल मुख्यालय में ।

भाग-1

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम-1958 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

भाग-11

परिवीक्षा अधिनियम 1958 :-

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को बिना जेल आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। वह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा सारणी नं० 1 व 2 में सलन है।

सारणी नं० - 1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 414 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 216 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख-भाल से 31.03.2012 को 66 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 1049 निरीक्षण किए।

सारणी नं०- 2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 356 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इनमें से कोई भी व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम धारा-3 के अधीन भर्त्सना करके छोड़ा गया, 62 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 272 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

2. वर्ष 2011-12 में विभिन्न उद्योगों से 54,82,564 रुपये / - उत्पादन हुआ।

आकड़ों से ध्यान में निम्नलिखित सूचना विचाराधीन है :-

क. 18 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 6.14 प्रतिशत से बढ़कर 7.39 प्रतिशत हो गई।

ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े-लिखों की संख्या 63.0% प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष या इससे कम अवधि की सजा पाने वालों की संख्या

4.82 से बढ़कर 5.86 प्रतिशत हो गई क्यों कि थोड़ी अवधि वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधि की सजा के स्थान पर प्रवेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

ध. मृत्यु दण्डित आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष तक दण्डित बन्धियों की संख्या 45.21 प्रतिशत से कम हो कर 43.84 प्रतिशत हो गई।

लगभग 85.91 प्रतिशत विचाराधीन बंदी छोड़े गये । विचाराधीन बन्दि-
की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत
प्राधान्यों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है । जिससे लघु
अपराध में विचाराधीन बन्दि-यों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा
सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा ।

(यश पाल सिंगल)
महानिदेशक कारागार, हरियाणा।

परिवीक्षा अध्यापक अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 के दौरान
सारांश-1

[illegible]

सारणी-2

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई वार्षिक विवरण पत्र

2011-12

क्रम सं०	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्त्सना करके छोड़े गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(3) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	0	0	0	0
2.	हिसार	0	44	12	56
3.	रोहतक	0	5	11	16
4.	करनाल	0	0	2	2
5.	सिरसा	0	15	15	30
6.	जीन्द	0	0	2	2
7.	गुडगांव	0	208	17	225
8.	भिवानी	22	0	3	25
	कुल	22	272	62	356

23

Population Statement of the Prisoners in the Jails of Haryana as on 31-3-2012

Sr. No.	Name of Jail	Authorised Capacity	Confined Prisoners		Confirmed Prisoners		Convicted Prisoners	Custodial Prisoners	Foreign Prisoners	Total Convicts	Foreign Prisoners	Undertrial Prisoners	Total Prisoners	Grand Total						
			M	F	M	F														
1	2		M	F	F	M	F	M	F	F	M	F	M	F						
1.	Arbala	1228	212	12	225	9	7	1	1	17	2	0	464	22	0	608	32	640	1126	1126
2.	C.J.Hisar	1020	392	0	242	0	1	0	0	14	0	0	649	0	0	881	0	881	1530	1530
3.	B.J.Hisar	355	0	47	4	52	0	0	0	2	0	0	6	99	0	67	72	139	244	244
4.	Faridabad	2500	299	9	309	15	0	0	0	4	7	7	188	26	2	803	16	821	1473	1473
5.	Rohtak	370	96	6	84	6	0	0	0	1	7	3	0	0	0	982	67	1050	2266	2266
6.	Karnal	2434	506	27	647	20	0	0	0	1	12	3	0	780	20	1	971	19	997	1797
7.	Gurgaon	2412	373	17	384	3	0	0	0	14	1	0	348	5	7	0	435	25	460	813
8.	Bhiwani	561	190	5	143	0	0	0	0	2	0	0	352	0	0	0	358	0	599	748
9.	Sirsa	567	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	358	0	599	748
10.	Sonepat	363	57	0	75	0	0	0	0	12	5	0	149	0	0	0	264	0	264	516
11.	Jind	400	150	0	100	0	0	0	0	1	0	0	252	0	0	0	234	0	234	435
12.	KKR	446	92	0	105	0	0	0	0	3	1	0	201	0	0	0	300	18	318	623
13.	Narnaul	299	127	6	156	8	0	0	0	8	0	0	291	14	0	0	57	0	194	353
14.	Rewari	30	1	0	10	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0	0	187	7	304	603
15.	Kaithal	700	60	6	91	0	0	0	0	2	0	0	153	6	0	0	268	16	304	603
16.	YAM	1200	118	11	149	10	0	0	0	1	0	0	190	0	0	0	332	0	332	522
17.	Pawal	40	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51
18.	Panipat	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51
19.	Jhajjar	1074	108	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	332	522
Total		16034	2931	146	2999	8	1	27	118	27	2	6110	272	10	0	8243	349	8602	14984	14984

52432-D.G.P.-H.G.P., Chd.